चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना मऊ अन्तर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि दिनाँक 13.03.025 की रात्रि में वह घर पर अकेली थी तभी संदीप कुमार पुत्र चन्द्रशेखर घर में घुस आया मेरे साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। घटना के सम्बन्ध में थान मऊ में मु0अ0सं0 71/025 धारा 64,333 बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा विवेचना अपराध निरीक्षक को सुपुर्द की गयी।

आज दिनाँक 20.03.025 को थाना मऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह

2.आरक्षी सोनपाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री वंश नारायण सिंह व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 73/2025 धारा 80(2),85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.अर्जुन सिंह पुत्र माताबदल 2.शुभम पुत्र अर्जुन सिंह निवासीगण सुरौंधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री वंश नारायण थाना मऊ

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(5). आज दिनाँक 20.03.2025 को इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के ग्राम चौकीदार एवं अंश कालिक सफाई कर्मचारियों के साथ सुरक्षा एवं स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन कोतवाली परिसर कर्वी में किया गया । इस दौरान मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि सुरक्षा एवं स्वच्छता के अहम किरदार निभाने वाले पुलिस विभाग में सबसे निचले पायदान पर ग्राम चौकीदार के साथ साथ अंश कालिक सफाई कर्मचारी है। इन्ही दोनों साथियों को सम्मानित करने एवं पुलिस विभाग को एक साथ जोड़ने के लिए इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा सुरक्षा एवं स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एक सैकड़ा ग्राम चौकीदारों एवं 25 अंश कालिक सफाई कर्मचारी के लोगों को कम्बल,मोजे एवं 25 हॉकिंग प्रेसर कुकर वितरण किया गया तथा बताया गया ।

पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि इस राष्ट्र के निर्माण में ग्राम चौकीदार एवं सफाई कर्मचारियों का भी योगदान है। उन्होंने कहा कि आज आप लोगों से चाय पर एक साथ बैठने का उद्देश्य है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें।

इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव शिवहरे ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य ग्राम चौकीदार एवं सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों ,सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। यह पहल पुलिस और ग्राम चौकीदारों एवं सफाई कर्मचारियों को एक साथ जोड़ने के लिए है । उन्होंने बताया कि उनकी संस्था लगातार 26 वर्षों से निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में हर तरह की सहायता करती रहती है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,चौकी प्रभारी मण्डी समिति श्री श्यामदेव सिंह , पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का आभार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने किया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 639/2017 धारा 147,323,504,506,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.भानु प्रताप पुत्र उदयभान सिंह 2. रजत सिंह पुत्र उदयभान सिंह 3.रणधीर पुत्र गुलजार सिंह 4.गीता देवी पत्नी विक्रम सिंह 5.राममिलन पुत्र दुलमुल निवासीगण भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/-3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 20.03.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त करन सिंह पुत्र रंजीत स ह निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 20.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 587/2011 धारा 352,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.पिन्टू सिंह 2.मिन्टू सिंह पुत्रगण मुन्ना सिंह ठाकूर निवासीगण शास्त्रीनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/-2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि 16.03.2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हुआ कि थाना मऊ अन्तर्गत एक वादिनी के साथ दिनाँक 10.11.2024 की रात्रि में वह वह घर पर अकेली थी तभी महेश पुत्र बड़कू घर में घुस कर प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म करना तथा शोर करने पर जान से मारने की धमकी देना । इस घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 65/025 धारा 64,333,351(2),352 बीएनएस बनाम महेश पुक्र बड़कू अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा विवेचना उ0नि0 श्री रामकृत यादव को सुपुर्द की गयी।

आज दिनाँक 20.03.025 को थाना मऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त महेश पुत्र बड़कू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ

2.आरक्षी राकेश कुमार